


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

-----  
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री मनोज कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक खानपुर, समस्तीपुर जिन्हें उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने एवं विभागीय कार्यवाही में सहयोग प्रदान नहीं करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 4805 दिनांक 30.07.12 द्वारा निलम्बित किया गया था, को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.08.2012 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है ।


2. श्री सिन्हा द्वारा निलम्बन अवधि में बितायी गयी अवधि के वेतनादि पर निर्णय उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त लिया जाएगा ।

  
(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0वि0समस्तीपुर-15/2011 3128 /खाद्य,पटना/दिनांक 17/5/2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला पदाधिकारी, सहरसा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा/समस्तीपुर/उप निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री मनोज कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, खानपुर समस्तीपुर सम्प्रति सलखुआ सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।